

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक 05.8.25

विषय :- खरवार जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खरवार जाति के विभिन्न संगठनों द्वारा इस संबंध में लगातार ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है कि खरवार जाति के सदस्यों का जाति प्रमाण-पत्र सुगमता से निर्गत नहीं हो पा रहा है, जबकि लगभग सभी जिलों में खरवार के सदस्य निवास करते हैं। जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होने के कारण यह समाज अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा खतियान मात्र की मांग किया जाता रहा है।

यह भी कि खरवार समाज में बहुत से ऐसे परिवार हैं, जिनके पास खतियानी जमीन नहीं है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-118 दिनांक-17.06.1988 की कंडिका-2 में राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया है, जिसके अनुरूप खतियान के अतिरिक्त साक्ष्यों के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होते रहे हैं।

उक्त संदर्भ में कहना है कि विभागीय परिपत्र संख्या-12589 दिनांक-08.08.2024 एवं परिपत्र संख्या-1497 दिनांक-30.01.2018 द्वारा खरवार जाति के सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को पहले से दिशा-निदेश परिचारित किये गये हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 की कंडिका-(9) के उप कंडिका-(9.2) में यह प्रावधान किया गया है कि राजस्व अभिलेख (यथा खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि) की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन को यथा स्थिति यथा समय जाति प्रमाण-पत्र हेतु आधार बनाया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु एक मात्र आधार केवल खतियान नहीं है, बल्कि खतियान को छोड़कर अन्य साक्ष्य को भी यथा स्थिति यथा समय जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए वैध आधार माना जा सकता है, जो विभागीय परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 में उल्लेखित है।

अतः खरवार जाति के सदस्यों के जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के मामले में केवल खतियान को आधार न मानकर इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि, जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 में उल्लिखित हैं, को आधार पर भी खरवार जाति के सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय, ताकि खरवार जाति के सदस्यों को सुगमता से जाति प्रमाण-पत्र निर्गत हो सके। सुलभ प्रसंग हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा उक्त संबंध में समय-समय निर्गत परिपत्र/पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

अनु०—(1) परिपत्र संख्या-118 दिनांक-17.06.1988

(2) परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011

(3) परिपत्र संख्या-1497 दिनांक-30.01.2018

(4) परिपत्र संख्या-12589 दिनांक-08.08.2024

विश्वासभाजन,


04/08/25
(रजनीश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या 11/आ01-102/85 का0-118

(43)

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

प्रेषक,

श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभ्य प्रमोदलोक आर्य,
सभ्य जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 17 जून, 88

विषय:- खारवार तथा गोंड जाति के लोगों को अनु० जन जाति का जाति प्रमाण - पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे कहना है कि कार्मिक विभाग के संकेत संख्या-101 दिनांक 19-2-80 की कंडिका-5 में गोंड एवं खारवार जातियों, जो अनु० जन जाति के हैं, को जाति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में सरकार का आदेश था कि इन जातियों को प्रमाण-पत्र देने के पूर्व जिला पदाधिकारी राजस्व अभिलेखा के आधार पर पूरी तरह जाँच करने के बाद सुनिश्चित कर लें कि आदेशक वास्तव में खारवार या गोंड जाति के ही हैं।

2। परन्तु अधिकार भारतीय खारवार कल्याण महा सभा ने इस संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि राजस्व अभिलेखा के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करना संभव नहीं हो रहा है क्योंकि राजस्व अभिलेखा बहुत पुराने है और उसमें सम्बन्धित व्यक्तियों का नाम अंकित नहीं है।

अतः उक्त महा सभा के अनुरोध पर अन्तिम-भाति विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राजस्व अभिलेखा के अतिरिक्त निम्नलिखित अभिलेखों के आधार पर भी पूर्णस्थिति जाँच कर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है:-

1। राजस्व अभिलेखा

- ४६४॥ तारवार/गोंड॥ Gond ॥ जाति के भूमिहीन सदस्यों के संबंध में पंचायत स्तर या प्रगंड स्तर पर ऐसे अभिलेखा जिनमें जाति का उल्लेख किया जाता है ।
- ४६५॥ उपर्युक्त अभिलेखों के साथ-साथ कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या १०१ दिनांक १९-२-८० में निर्गत अनुदेश के अनुसार अन्य श्रोतों से भी पूर्ण जाँच कर जाति के संबंध में सुनिश्चित हो लेना आवश्यक है ताकि जो वास्तव में तारवार/गोंड॥ Gond ॥ जाति के सदस्य हैं उन्हें ही प्रमाण-पत्र मिले ।
- ४६६॥ जाँच के क्रम में ऐसे पुराने दास्तावेज जो भूमि अथवा मकान से संबंधित हों उन्हें भी ध्यान में रखा जा सकता है ।
- ४६७॥ साक्षी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जाति प्रमाण-पत्र देने में तारवार एवं गोंड॥ Gond ॥ जाति के सदस्यों को किसी स्तर पर अनावश्यक कठिनाई न हो और सम्यक जाँचोपरांत यथा प्राप्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय ।
- ३॥ आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले सभी अधिकारिता प्राप्त पदाधिकारियों को सरकार के उपर्युक्त निर्णय से अवगत कर दें तथा सुनिश्चित करें कि इसका अनुपालन हो ।

विपवातभाजन,

१५/६/७७
जगन्नाथ प्रसाद
सरकार के संयुक्तसचिव



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन 1932 (श0)
(सं0 पटना 61) पटना, बुधवार, 9 मार्च 2011

पत्र संख्या-11/आ.2-आ.नी.-05/2010सा.673
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव ।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना ।

पटना-15, दिनांक 08 मार्च, 2011

विषय :- जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग को जाति/आय/आवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु बिहार सरकार/भारत सरकार द्वारा इससे संबंधित मार्ग-दर्शन को परिचारित करते हुए उसमें अंतर्निहित प्रक्रिया एवं शर्तों का अनुपालन करने हेतु समय-समय पर अनुदेश दिया जाता रहा है । साथ ही इन प्रमाणपत्रों को निर्गत करने हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र भी परिचारित किया जाता रहा है ।

वर्तमान में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र एवं अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं आवास प्रमाणपत्र के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी प्रमाणपत्र निर्गत करते हैं । इसमें प्रक्रियात्मक विलम्ब होने के कारण आवेदकों को काफी परेशानी होती है । इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, जाली

प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने तथा पारदर्शिता लाने हेतु राज्य सरकार ने विचारोपरांत निर्णय लिया है कि सरकारी सेवाओं में नियोजन एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र पूर्ण रूप से मान्य होंगे।

प्रमाणपत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त आवेदन हेतु आवेदनों की प्राप्ति एवं उसके निष्पादन संबंधी मार्ग-दर्शन दिये जा रहे हैं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र जाँचोपरांत अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे। राजस्व अभिलेख की जाँच/स्थलीय जाँच अंचलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा की जायेगी।

(2) वांछित प्रमाणपत्र हेतु आवेदक/आवेदिका द्वारा विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरे गये आवेदन, संगत स्वयं शपथपत्र अर्थात् आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जाने वाला शपथपत्र सहित संबंधित अंचल कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(3) राजस्व कर्मचारी/पंचायत सेवक/जनसेवक के हस्ताक्षर का नमूना संबंधित अंचल कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा।

(4) वांछित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन का निष्पादन अंचल कार्यालय में प्रस्तुत करने पर प्रस्तुतीकरण के इक्कीस दिनों के अन्दर कर दिया जाय। साथ ही साथ वांछित प्रमाणपत्र देय नहीं होने की स्थिति में कारण को स्पष्ट करते हुए इस आशय की भी सूचना आवेदक/आवेदिका को दे दी जायेगी।

(5) आवेदन प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर प्राधिकृत कर्मी वांछित प्रमाणपत्र (दो प्रतियों में) निर्गत कराकर एक प्रति संबंधित आवेदक/आवेदिका को प्राप्त करा देंगे।

(6) राज्य सरकार से इतर प्राधिकारों/अन्य संस्थानों में नियुक्ति अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए अगर अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की माँग की जाती है तो ऐसे मामले में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र को उच्चाधिकारी द्वारा मात्र प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(7) किसी संस्थान विशेष द्वारा यदि उनके द्वारा निर्मित विहित प्रपत्र में प्रमाणपत्रों की माँग की जाती है तो संबंधित पदाधिकारी द्वारा वांछित प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।

(8) ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाणपत्र बार-बार निर्गत नहीं किये जायेंगे। पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र के साथ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापांक संख्या-36033/4/97-स्था.(आरक्षण) दिनांक 25.07.03, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-11/वि.5-09/1998-1074 दिनांक 06.07.2005 द्वारा परिचारित किया गया है, के आलोक में क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी शपथपत्र फॉर्म-XVIII में आवेदक/आवेदिका द्वारा दिया जायेगा, जो मान्य होगा।

(9) जाति प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे:-

आवेदक/आवेदिका के पिता/पूर्वज का-

(9.1) राजस्व अभिलेख (यथा खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि)।

(9.2) कंडिका-(9.1) में उल्लिखित अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन को भी यथा स्थिति यथा समय जाति प्रमाणपत्र हेतु आधार बनाया जा सकता है।

(10) आवास प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे:-

आवेदक/आवेदिका के माता-पिता/पूर्वज का-

(10.1) राजस्व अभिलेख (यथा खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आदि)।

(10.2) राशन कार्ड।

(10.3) निर्वाचन पहचान पत्र।

(10.4) विद्युत विपत्र।

(10.5) दूरभाष विपत्र।

(11) आय प्रमाणपत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जायेंगे:-

आवेदक/आवेदिका के माता-पिता का-

(10.1) वेतन/पेंशन पर्ची।

(10.2) आयकर रिटर्न।

(10.3) अन्यान्य अभिलेख।

(12) प्रमाणपत्रों की वैधता :-

i. जाति प्रमाणपत्र :- सामान्यतया जाति प्रमाणपत्र की वैधता की कोई सीमा नहीं होगी।

ii. आय प्रमाणपत्र :- आय प्रमाणपत्र हेतु आय का आकलन गत वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर होगा, जो निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा।

iii. आवास प्रमाणपत्र :- (क) सामान्यतया अस्थायी आवास प्रमाणपत्र की मान्यता निर्गत होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष तक होगी ।

(ख) स्थायी आवास प्रमाणपत्र की वैधता की कोई सीमा नहीं होगी ।

(13) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-11/वि.5-न्याय-09/1996-1236 दिनांक 03.03.2008 द्वारा प्रावधान किया जा चुका है कि "चूंकि किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती है, अतएव एक बार निर्गत जाति प्रमाणपत्र की मान्यता सभी विभाग / कार्यालय / शिक्षण संस्थानों द्वारा दिया जाना चाहिए तथा जाति प्रमाणपत्र की सम्पुष्टि के उपरांत इसे आवेदक को वापस कर दिया जाना चाहिए" । इसी संदर्भ में निदेश है कि जाति प्रमाणपत्र के साथ-साथ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ भी आवश्यक सम्पुष्टि के उपरांत आवेदक/आवेदिका को वापस कर दिया जाय ।

(14) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-70 दिनांक 11.06.96 एवं बिहार अधिनियम, 15/2003 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है ।

(15) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-3025 दिनांक 11.09.2007 के आलोक में स्पष्ट करना है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति से होगा ।

(16) सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त आशय की सूचना तथा विहित प्रपत्र अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारियों को यथासमय उपलब्ध करा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि नयी व्यवस्था के तहत आवेदक/आवेदिका को प्रमाणपत्र सुलभ होने लगे ।

(17) जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र निर्गत करने संबंधी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/आदेश/संकल्प आदि के असंगत अंश निरस्त किये जाते हैं । विभिन्न प्रमाणपत्रों/आवेदनपत्रों/स्वयं शपथपत्रों अर्थात् आवेदक/आवेदिका द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्रों हेतु विहित प्रपत्र संलग्न है ।

(18) नयी व्यवस्था पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा नियमानुसार पूर्व निर्गत सभी प्रमाणपत्र मान्य होंगे ।

अनु.-यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या-11/आ0नी0-1-04/2016 सा0प्र0 14.2.18

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक 20.1.18

विषय :- खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 'खरवार' जाति बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है। एतद् संबंधी सूची विभागीय परिपत्र संख्या-225 दिनांक-16.01.2007 द्वारा परिचारित की जा चुकी है।

खरवार जाति के विभिन्न संगठनों एवं व्यक्तियों आदि के माध्यम से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि 'खरवार' जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत होने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण इन्हें अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय परिपत्र संख्या-5479 दिनांक-10.11.2009 द्वारा इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारीगण को निदेशित किया जा चुका है। पुनः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 की कंडिका-(9) में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु कतिपय अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को उनके खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज आदि के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है। इन अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर किसी व्यक्ति की जाति के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद भी जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि 'खरवार' जाति के सदस्यों के मामले में भी उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाते हुए इन्हें अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने से पूर्व भूमि संबंधी अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर तथा इसकी अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर एवं इनकी जाति के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


(राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

प्रारूप - II

287

पत्र संख्या-11/आ० जा०-02/2024 सा0प्र0!2589

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो० सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 8.8.24

विषय :- खरवार जाति के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खरवार जाति के विभिन्न संगठनों आदि के माध्यम से खरवार जनजाति की जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने में आ रही समस्या के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही है।

उक्त के आलोक में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 की कंडिका-9 में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में कतिपय अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही खरवार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत होने में उत्पन्न हो रही समस्या को देखते हुए विभागीय परिपत्र संख्या-1497 दिनांक-30.01.2018 द्वारा खरवार जाति के सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध किया गया है।

अतः पुनः अनुरोध है कि खरवार जाति के सदस्यों के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-673 दिनांक-08.03.2011 की कंडिका-9 में अंकित प्रावधान के आलोक में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करने कृपा की जाय।

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन


(मो० सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।